न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 04 / 2014

उनवान

1. मु0 मोहनी पत्नि मूला खारोल निवासी गिरडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. बजरंग पिता रामा खारोल निवासी गिरडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. मोहन पिता कालू खारोल निवासी गिरडिया
3. मु0 मांगी पत्नि बंशी खारोल निवासी गिरडिया
4. नारायण पिता बंशी खारोल नाबालिग जरिये माता श्रीमती मांगी निवासी गिरडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
5. दुर्गा पुत्री बंशी खारोल नाबालिग जरिये माता श्रीमती मांगी निवासी गिरडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा , जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 58 / 2007 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2013

अभिभाषक : 1. श्री रमेश चेचाणी , अधिवक्ता अपीलार्थी

2. प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित (एक्स पार्टी)

आदेश

दिनांक 5.12.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया / वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अन्तर्गत धारा 88, 89, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गिरडिया पटवार हल्काक लुलास में श्रीरामजस पिता सुवाल लाल महाजन निवासी सांगानेर के खातेदारी अधिकार मे आराजी नम्बर 184/4 रकबा 10 बीघा श्री जगदीश पिता श्री रामकिशन महाजन निवासी लुलास के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 184/3 रकबा 5 बीघा व सोहन लाल पिता श्री कन्हैया लाल महाजन निवासी लुलास की खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 184/5 रकबा 5 बीघा स्थित है। खातेदार अपनी खातेदारी अधिकार की आराजी पर बहैसियत मालिक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे थे। उक्त खातेदारान को आराजी अलोट हुई मौके पर नाप कर कब्जा सिपुर्द किया गया । तत्कालीन नक्शे में उक्त अलोट के अनुसार कब्जा देकर आराजी का फिट किया गया । तहसील शाहपुरा में सेटलमेण्ट का काम चला जो समाप्त हो चुका है। सेटलमेण्ट वालों ने अपना रिकार्ड भी तैयार कर लिया । सेटलमेण्ट वालों ने आराजी नम्बर 184/3 रकबा 5 बीघा के नये नम्बर 2 रकबा 1.02 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 3 रकबा 0.06 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 184/4 रकबा 10 बीघा के नये नम्बर 4 रकबा 1.66 हेक्टेयर, व आराजी नम्बर 184/5 रकबा 5 बीघा के नये नम्बर 5 रकबा 1.14 हेक्टेयर बनाये। सेटलमेण्ट वालों ने उक्त नये नम्बरों को नक्शे में मनमकसूद तरीके से किया । मिलान खसरा व जमाबंदी की नकल इस सबंध में प्रस्तुत किया है। खातेदार श्री रामजस महाजन ने अपने खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 184/4 रकबा 10 बीघा का बिकाव वादिया के पक्ष में व श्री जगदीश महाजन ने अपने खतोदारी अधिकार की आराजी नम्बर 2 व3 रकबा 1.02 हेक्टेयर व 0.06 हेक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में श्री सोहन लाल महाजन ने अपने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 5 रकबा 1.14 हेक्टेयर बंशी लाल खारोल व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में विक्रय कर दिया जिसका इन्द्राज तत्कालीन जमाबंदी में किया गया। खरीददार बंशीलाल खारोल के फौत होने से उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को पक्षकार बनाया गया है। वादिया के द्वारा क्रय सुदा आराजी का रकबा 10 बीघा था जिसका परिवर्तित रकबा 2.16 हेक्टेयर बनता है परन्तु वादिया का रकबा पुराने नक्शे में जिस जगह फिट किया है परन्तु साबिक रकबा 10 बीघा का हाल रकबा 2.16 हेक्टेयर बनता है परन्तु भू प्रबन्ध वालों ने 1.66 हेक्टेयर ही दर्ज किया है यानि 0.50 हेक्टेयर कम रकबा दर्ज किया है। अतः उक्त कमी रकबे को नक्शे में दर्शाते हुए वादिया को उक्त कम रकबे का खातेदार घोषित किया जावे। वादिया को कम रकबा दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण 1 से 5 के साथ विवाद करना पडता है। अतः वाद पत्र स्वीकार कर उक्त कम रकबे का वादिया को खातेदार घोषित किया जवे एवं नक्शे में दुरूस्ती की जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि वादिया ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–89 प्रस्तुत कर निवेदन किया था

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कि राजस्व ग्राम गिरडिया तहसील शाहपुरा में रामजस पिता सुवा लाल महाजन के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 184/4 रकबा 10 बीघा, जगदीश पिता रामकिशन महाजन के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 184/3 रकबा 5 बीघा एवं श्री मोहन लाल पिता कन्हैया लाल महाजन के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 184/5 रकबा 5 बीघा स्थित थी। उक्त तीनों ही खातेदारान को भूमि आवंटन हुई थी। जिस पर वे आवंटन के समय से ही काबिजकाश्त थे।

4. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तत्कालीन खातेदार रामजस ने साबिक आराजी नम्बर 184/4 रकबा 10 बीघा जिसके नये आराजी नम्बर 4 रकबा 1.66 हेक्टेयर बने विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया था। इसी प्रकार जगदीश जी ने साबिक आराजी नम्बर 184/3 रकबा 5 बीघा जिसके नवीन आराजी नम्बर 2 व 3 बने है जिसका कुल रकबा 1.08 हेक्टैयर है रेस्पोडेण्ट संख्या 1 बजरंग को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया है , तथा सोहन लाल ने साबिक आराजी नम्बर 184/5 रकबा 5 बीघा जिसके हाल आराजी नम्बर 5 रकबा 1.14 हेक्टेयर है बंशीलाल खारोल को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया । रेस्पोडेण्ट को तत्कालीन जमाबंदी में खातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है।

5. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीया के साबिक आराजी नम्बर 184/4 रकबा 10 बीघा का नवीन आराजी नम्बर 4 रकबा 2.16 हेक्टेयर बनता है परन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा मात्र 1.66 हेक्टेयर रकबा ही दर्ज किया है। इस प्रकार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा अपीलार्थीया/वादिया के 0.50 हेक्टेयर रकबा कम दर्ज किया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अपीलार्थीया के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलार्थीया/वादिया का साबिक रकबा 10 बीघा का भू प्रबन्ध के उपरान्त 2.16 हेक्टेयर रकबा बनता है। इस संबंध में अपीलार्थीया गवाहान पी डब्ल्यू 1 बजरंग के बयान कराये हैं जो अपीलार्थीया/वादिया के हाल आराजी नम्बर 4 के पडौसी होकर हाल आराजी नम्बर 3 के खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार हाल आराजी नम्बर 5 के खातेदार मोहन पिता कालू खारोल के भी बयान कराये हैं। जिन्होंनें अपीलार्थीया/वादिया का पडौसी होना एवं अपीलार्थीया द्वारा वादग्रस्त भूमि पर काश्त करना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीया/वादिया ने अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्य, एवं गवाहान के बयान से बखूबी साबित कराया है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीया/वादिया का वाद अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा खारिज किया है। अतः अपील अपीलार्थीया स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं अपीलार्थीया का कमी रकबा 0.50 हेक्टैयर पूरा करते हुए अपीलार्थीया को 2.16 हेक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

7. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

8. हमनें अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीया का यह कथन कि उसने तत्कालीन खातेदार श्री रामजस आत्मज सुवालाल महाजन से साबिक आराजी नम्बर 184/4 रकबा 10 बीघा भूमि जिसके हाल आराजी नम्बर 4 रकबा 2.16 हेक्टेयर बनता है को क्रय कर कब्जा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्राप्त किया था। भू प्रबन्ध के दौरान उक्त रकबे को कम दर्ज किया गया है। वर्तमान में 1.66 हेक्टेयर रकबा ही दर्ज किया गया है। उक्त कम 0.50 हेक्टैयर भूमि का और खातेदार घोषित किया जावे। अपीलाण्ट ने मिलान खसरा प्रस्तुत किया है। जो प्रदर्श 3 है जिसमें साबिक आराजी नम्बर 184/4 का नवीन आराजी नम्बर 4 रकबा 1.66 हेक्टेयर दर्ज किया गया है। इस प्रकार यह तो साबित होता है कि साबिक रकबा 10 बीघा का हाल रकबा 2.16 हेक्टेयर बनता है जो भू प्रबन्ध के दौरान कम रकबा दर्ज किया गया है। परन्तु अपीलार्थीया ने यह तथ्य साबित नहीं कराया है उसका कम रकबा 0.50 हेक्टेयर किस आराजी नम्बर में दर्ज किया गया है जिसे कम किया जाकर उसके कम रकबे को पूरा किया जावे। अपीलार्थीया ने गवाहान के बयान कराये हैं उनके द्वारा मात्र यह बयान पजिबद्ध कराया गया है कि अपीलार्थीया का हाल आराजी नम्बर 4 पर कब्जा है । उनके द्वारा भी ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि अपीलार्थीया/वादिया का रकबा कम दर्ज किया गया है जो उनके आराजी नम्बर 3 अथवा 5 में दर्ज किया गया है।

9. अपीलार्थीया/वादिया को अपना वाद साक्ष्य, गवाहान, राजस्व रेकार्ड से साबित कराना चाहिये था कि उसका कम रकबा किस आराजी नम्बर में दर्ज कर दिया गया है जिसे कम किया जाकर उसके कमी रकबे को पूरा किया जा सके। अपीलार्थीया/वादिया ने न्यायालय हाजा में भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके द्वारा चाही गई दाद उपलब्ध कराई जा सके। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. अतः अपील अपीलार्थीया सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2013 को यथावत रखा जाता है । पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 5.12.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

5/12/17

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी –श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 04 / 2014

उनवान

1. मु0 मोहनी पत्नि मूला खारोल निवासी गिरडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. बजरंग पिता रामा खारोल निवासी गिरडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. मोहन पिता कालू खारोल निवासी गिरडिया
3. मु0 मांगी पत्नि बंशी खारोल निवासी गिरडिया
4. नारायण पिता बंशी खारोल नाबालिग जरिये माता श्रीमती मांगी निवासी गिरडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
5. दुर्गा पुत्री बंशी खारोल नाबालिग जरिये माता श्रीमती मांगी निवासी गिरडिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा , जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थी

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रकरण संख्या 58 / 2007 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2013

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 04 / 2014** मे **उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:–

यह अपील तारीख 5.12.2017 को अपीलाण्ट की ओर से श्री रमेश चेचाणी एवं प्रत्यर्थीगण एक्स पार्टी मे दिनांक 5.12.2017 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीया सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.10.2013 को यथावत रखा जाता है ।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आज दिनांक 5.12.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

5/12/17

(निमिषा गुप्ता)
भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस